न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 101/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स श्रीराम कचौरी

(श्री रामकिशन साहू पुत्र श्री चांदमल साहू)

मली मौहल्ला, फॉयसागर रोड, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2023 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स श्री राम कचौरी पर पहूँचे। उक्त व्यवसाय स्थल पर श्री रामकिशन साहू पुत्र श्री चांदमल साहू, मालिक निवासी माली मौहल्ला फॉयसागर रोड, अजमेर उपस्थित मिले। उक्त स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का उपयोग चाय, नाश्ता बनाने में किया जाना पाया । जॉच स्थल पर पाये गये कुल 07 सिलेण्डर में से 01 दुकान में तथा अन्य 06 भरे हुए पाये। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	75754	IOCL	16.3	21.3	5.0
2	824591	IOCL	15.7	29.9	14.2
3	1841480	IOCL	15.6	29.6	14.0
4	891106	IOCL	16.0	30.0	14.0

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

5	2315	IOCL	15.9	30.1	14.2
6	155665	IOCL	15.5	29.5	14.0
7	142012	IOCL	15.5	29.7	14.2

को कब्जेराज लिया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय/नाश्ता बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरो के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरूपयोग करएल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री एस के हॉम एप्लायन्सीस, अजमेर के कार्मिक लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिह को बुलवाकर कांटे से वनज करवाकर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक दिनांक 22.08.2023 को उपस्थित आये। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.12.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को उक्त अधिनियम के सबंध में कोई जानकारी नही होने से प्रार्थी की आज्ञानतावश कारित अपराध क्षमा है। प्रार्थी भविष्य में पुनरावृति नही करेगा। अतः सदभाविक त्रुटि को क्षमा करे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 08.12.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये सात गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर